फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/केएसआईई/सी/कालीकट/सीपी- III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 42/2022-23 का परिशिष्ट

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 01.06.2023

सेवा	:	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल)**
हवाईअड्डा	:	**कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण (एएआई)**

दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 42/2022-23 का परिशिष्ट - मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईईएल) द्वारा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीजे), कालीकट में प्रदान की जाने वाली विनियमित एजेंट (आरए) सेवाओं के संबंध में 01.06.2023 से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का प्रावधान करना।

स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तुति :

1. केरल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईई) कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीसीजे) पर एयरकार्गो कॉमप्लेक्स (एसीसी) का प्रचालन कर रहा है। केएसआईई को सीमा-शुल्क आयुक्त ने आयात एवं निर्यात दोनों कार्गो के लिए द्वारा कालीकट एयर कार्गो कॉमप्लेक्स (सीएसीसी) के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

2. आईएसपी की प्रस्तुति के अनुसार केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीसीजे) पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाला एकमात्र सेवा प्रदाता है। मैसर्स केएसआईई ने कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर निर्यात कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआईसीएलएएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो 16.08.2023 तक वैध है।

3. मैसर्स केएसआईई ने दिनांक 25.02.2023 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया है:

   क) ऐरा के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) फार्म.
   ख) केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईई) और एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)
   ग) हितधारकों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त.

4. तत्पश्चात मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड ने दिनांक 16.05.2023 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि उन्हें कालीकट अंतरराष्ट्रीय अड्डे पर कालीकट एयर कार्गो कॉमप्लेक्स के लिए विनियमित एजेंट (आरए) का दर्जा दिया

जा चुका है और बीसीएएस के अनुदेशों के अनुसार सामान्य प्रयोक्ता अंतरदेशीय कार्गो टर्मिनल (सीयूडीसीटी) सुविधा के समापन की समय-सीमा 31.05.2023 है, इसके बाद केएसआईई को विनियमित एजेंट (आरए) के रूप में कार्य करना होगा।

5. इसलिए केएसआईई प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वह कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विनियमित एजेंट के रूप में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ दरों के लिए अनुमोदन प्रदान करें। आईएसपी ने विनियमित एजेंट से संबंधित निम्नलिखित सेवाओं के लिए टैरिफ दरें प्रस्तुत की है:

Sno.	Name of new Service(s)	Details of proposed services	Tariff Rates Proposed
1.	**X-ray Machine Usage Charge**	For all types of Cargo	Rs. 1.75 per Kg subject to a minimum of Rs. 200/- per Consignment.
2.	**Screening and Certification Charge.**	For all types of Cargo	Rs. 2.25 per Kg subject to a minimum of Rs. 200/- per Consignment.
3.	**Export Documentation charges.**	To be paid by Airlines at Export for providing Manifest and Envelope services provided. Export: Export Cargo Manifest + Envelope.	Rs. 500/- Flight
4.	**Handling Charges.**	Acceptance of Cargo, Stacking, Feeding into X-ray Machine and to Pallets/ULDs. To be paid by airlines.	Rs. 2.50 per Kg subject to the minimum of Rs. 650/- per Consignment.

प्राधिकरण द्वारा मैसर्स केएसआईई के अनुरोध की जांच:

6. प्राधिकरण नोट करता है कि केएसआईई कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीसीजे) पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाला एकमात्र सेवा प्रदाता है। केएसआईई ने एएआईसीएलएएस के साथ 16.08.2023 तक वैध समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त केएसआईई ने सूचित किया है कि वे एएआईसीएलएएस/एएआई के साथ समझौता ज्ञापन के नवीकरण को अंतिम रूप दे रहे हैं।

7. प्राधिकरण नोट करता है कि केएसआईई ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 01 मई, 2023 के पत्र द्वारा विनियमित एजेंट की सेवाएं प्रदान करने के लिए सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है। बीसीएएस के पत्र के अनुसार *"सुरक्षा अनुमति इसे जारी करने की तारीख से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए या महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।"*

8. इसके अतिरिक्त प्राधिकरण नोट करता है कि कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विनियमित एजेंट का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद आईएसपी ने कुछ अतिरिक्त सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ दरों का प्रस्ताव किया है। केएसआईई ने दिनांक 18.05.203 की मेल द्वारा विनियमित एजेंट (देखें : पैरा 5) के रूप में प्रस्तावित निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाओं के संबंध में औचित्य/कारण भी प्रस्तुत किए हैं

Sno.	Name of new Service(s)	Applicability of proposed services	Reasons/Justifications
1.	**X-ray Machine Usage Charge**	For all types of Cargo	The ISP has proposed 0.25 paisa per Kg increase in X-machine usage charge against the earlier charge of Rs.1.50 per Kg which was fixed during 2018. Now the nominal hike in tariff proposed is due to the considerable increase in AMC charges, Electricity Charges, Cost of Spares etc.
2.	**Screening and Certification Charge.**	For all types of Cargo	Presently, Airlines are doing the Screening of Export Cargo engaging their own Screeners or in association with other Airlines. On awarding of the RA status, KSIE would be screening the cargo, engaging their own X-ray Screeners. As per BCAS norms, the custodian should engage three Screeners

			per shift. Since, KSIE have two x-ray machines and to run three shifts with three Screeners per shift, the total number of Screeners required is 18. Since this payment is being met by the Exporter to Airlines, it can be treated as shifting of payment by Exporters from Airlines to KSIE and so no extra charges is to be paid by the Exporters on this account. As part of Security clearance of cargo, KSIE should also affix Security Stickers on each packaging/ carton/ palette/Container. Since the cost of Security Sticker is 0.52 paise per Sticker, this is also cause for a regular and considerable expenditure. Additionally, as part of Security Screening of cargo KSIE also make use of the ETD (Explosive Trace Detector) Machine. For the same, KSIE have to provision for consumable like Swab to use regularly. The cost of swab is also taken into account and the rate per swab is around 0.50 paise. However, KSIE are not charging for the same but a fraction amount is included in the Screening/Certification Charge.
3.	**Export Documentation charges.**	To be paid by Airlines at Export for providing Manifest and Envelope services provided.	Export Documentation charges are also applicable at other Airports.
4.	**Handling Charges.**	Acceptance of Cargo, Stacking, Feeding into X-ray Machine and to Pallets/ULDs. To be paid by airlines.	ISP submitted that presently on arrival of cargo at Export Terminal, the Unloading and Stacking of the same in the Export Terminal and then the loading into X-ray machines is done by the Loading staff of Exporters. Later, after screening is completed, the cargo will come to the Sterile Hold Area from where it is either palletized or containerized. The same is done by the staff of Ground Handling Agency for and on behalf of Airlines. On implementing RA status, activities like acceptance of cargo, stacking, feeding into x-ray machine and then to pallets /ULDs after Screening are to be done by the Regulated Agent. Taking into account the volume of cargo we handle per day (45-50 MT) around 30 Warehouse Helpers are required. However, we start with 18 nos for the time and add more numbers in between. Considering the Wages per day and other allied statutory payments, a substantial amount is to be paid towards the same.

9. प्राधिकरण नोट करता है कि ऐरा ने दिनांक 23 मार्च, 2023 के तदर्थ आदेश संख्या 42/2022-23 द्वारा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर केएसआईई के संबंध में तदर्थ टैरिफ दरों के लिए पहले ही अनुमोदन दे दिया है।

10. जहां तक आईएसपी द्वारा उपर्युक्त पैरा 8 में इंगित किए अनुसार आरए सेवाओं के लिए टैरिफ दरों के लिए अनुमोदन मांगने का संबंध है प्राधिकरण आईएसपी द्वारा प्रहले से प्रस्तुत एमवाईटीपी की विस्तृत जांच करेगा और आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में परामर्श पत्र को अंतिम रूप देते समय कैपेक्स, ओपेक्स, कार्गो की मात्रा आदि सहित प्रस्ताव के अन्य संगत पहुलओं पर भी विचार करेगा।

11. इस बीच कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर केएसआईई के लिए आरए संबंधी अतिरिक्त सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ को अंतिम रूप देने के प्रयोजन से प्राधिकरण ने आईएसपी द्वारा प्रस्तावित तदर्थ टैरिफ दरों का आस-पास के प्रमुख हवाईअड्डों, अर्थात बैंगलुरू और गोवा (डोबोलिम) हवाईअड्डों, पर समान प्रकार की सेवाओं के लिए प्रचलित टैरिफ से मिलान कर लिया है, जिनके लिए प्राधिकरण ने कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ पहले ही अनुमोदित कर दी हैं। तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण आईएसपी द्वारा यथा प्रस्तावित टैरिफ में से अतिरिक्त आरए सेवाओं के लिए न्यूनतम टैरिफ दरों और ऊपर उल्लेख किए अनुसार पहले ही जारी तदर्थ टैरिफ आदेश के परिशिष्ट के रूप में कार्गो सेवा प्रदाताओं की अनुमोदित टैरिफ को तदर्थ आधार पर मानने का निर्णय लेता है।

12. प्राधिकरण नोट करता है कि परामर्शपत्र और टैरिफ आदेश जारी करने सहित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियिमत प्रक्रिया पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। इसके अतिरिक्त केएसआईई द्वारा 01.06.2023 से कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विनियमित एजेंट की सेवाएं प्रारंभ करने को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण केएसआईई को संलग्नक-1 के अनुसार 01.06.2023 से 30.09.2023 तक या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली आरए संबंधी अतिरिक्त सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनयामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईई) को संलग्नक-1 के अनुसार आरए संबंधी सेवाओं सहित इसकी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 01.06.2023 से 30.09.2023 तक या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 42/2022-23 के परिशिष्ट के रूप में कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, (सीसीजे) कालीकट में विनियमित एजेंट के रूप में तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) यदि एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएएस) कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मैसर्स केएसआईई की कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन का 16.08.2023 के बाद नवीकरण नहीं करती है तो यह आदेश 16.08.2023 से रद्द हो जाएगा।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त और कोई प्रभार न लगाया जाए।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री जयराज पी.वी.,
विभागाध्यक्ष (एसीसी)
मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईई),
(केरल सरकार का उपक्रम)
सेंट जोसेफ प्रेस बिल्डिंग, कॉटन हिल,
तिरूवनतंपुरम-695014, केरल, इंडिया

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003.
2) श्री अजय भारद्वाज, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एआईसीएलएएस, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
3) हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कालीकट अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कालीकट, जिला मालापुरम, केरल- 673647

संलग्नक -I

मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (केएसआईई) के संबंध में 01.06.2023 से 30.09.2023 तक कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीजे), कालीकट में प्रदान की जाने वाली विनियमित एजेंट (आरए) संबंधी सेवाओं के लिए दिनांक 23.03.2023 के आदेश संख्या 42/2022-23 के परिशिष्ट के रूप में अनुमोदित तदर्थ टैरिफ दर कार्ड

निर्यात कार्गो

क्र. सं.	सेवा	प्रस्तावित सेवाएं लागू	यूनिट	दरें रूपए में (रूपए में)
1.	एक्स-रे मशीन के उपयोग संबंधी प्रभार	सभी प्रकार के कार्गो के लिए	प्रति किलो	1.50
			न्यूनतम/प्रेषण	150
2.	स्क्रीनिंग और प्रमाणन प्रभार	सभी प्रकार के कार्गो के लिए	प्रति किलो	1.50
			नूयनतम /प्रेषण	105
3.	निर्यात प्रलेखन प्रभार	एयर लाइनों द्वारा अदा किया जाए।	प्रति उड़ान	500
4.	हैंडलिंग प्रभार	एयर लाइनों द्वारा अदा किया जाए।	प्रति कि.ग्रा.	1.71
			न्यूनतक/प्रेषण	404